कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / Q-2 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2025 रायपुर, दिनांक 22/11/2025

// एम.पी.टी. (MPT) पाठ्यक्रम, प्रवेश वर्ष 2025 की काउंसिलिंग हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया पुनः प्रारंभ किये जाने संबंधी सूचना//

पूर्व में कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ के सूचना क्रमांक 8789 / छात्र / काउंसिलिंग / 2025, दिनांक 12.11.2025 को जारी एम.पी.टी. (MPT) पाठ्यक्रम, प्रवेश वर्ष 2025 की काउंसिलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया स्थगित की गई थी। उक्त संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, अंजोरा, दुर्ग में उपलब्ध एम.पी.टी. सीटों हेतु राज्य स्तरीय ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया अब पुनः प्रारम्भ की जा रही है।

अभ्यर्थी निम्न समय–सारणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

समय–सारणी

क्र.	प्रक्रिया	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क (Non Refundable)	राशि रू. 2,000/– (रू. दो हजार मात्र)
2	ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि एवं अंतिम तिथि	दिनांक 24 नवम्बर 2025 समय (Server Time) 11.00 Hrs. (11:00 AM) से दिनांक 01 दिसम्बर 2025 समय (Server Time) 23.59 Hrs. (11:59 PM) तक
3	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (Choice Filling and Locking) करने की प्रारंभ तिथि एवं अंतिम तिथि	दिनांक 24 नवम्बर 2025 समय (Server Time) 11.00 Hrs. (11:00 AM) से दिनांक 02 दिसम्बर 2025 समय (Server Time) 23.59 Hrs. (11:59 PM) तक

महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. केवल वे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.पी.टी. (BPT) पाठ्यक्रम नियमित रूप से उत्तीर्ण किया हो तथा अनिवार्य इंटर्नशिप (Internship) पूर्ण की हो।

क्रमश––2––

2. भुगतान केवल (i) क्यूआर कोड आधारित यूपीआई और (ii) बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही किया जा सकता है। भुगतान करने के पश्चात अभ्यर्थियों को फॉर्म में ट्रांजेक्शन का विवरण भरना अनिवार्य होगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा, चाहे अभ्यर्थी आवंटित इंटर्नशिप कार्यक्रम में शामिल हों या नहीं।

3. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था चयन) अभ्यर्थी द्वारा स्वंय किया जाता है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आवंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी। यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

अभ्यर्थी एम.पी.टी. (Master of Physiotherapy) पाठ्यक्रम काउंसिलिंग प्रक्रिया की समय–सारिणी, आबंटन एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट ***www.cgdme.in*** का अवलोकन करें।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

22/11/25

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.